



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ० राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 222/15

निर्णय दिनांक:-19.04.2018

1. रामकुमार पुत्र ख्यालीराम जाति बिश्नोई निवासी बीकानेर।

अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 18-12-2003
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थिति:-

1. श्री हरिराम बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 18-12-2003 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील कोलायत में वर्ष 1984-1985 में बतौर भूमिहीन आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के प्रस्तुत करने के 17 वर्ष बाद अपीलांट को जरिये लॉटरी दिनांक 27-11-2002 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से 25 बीघा कमाण्ड भूमि का पात्र मानते हुए चक 24 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर

27/56 में 17 बीघा 11 बिस्वा कमाण्ड व 8 बीघा 14 बिस्वा भूमि अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 24.05 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। तत्पश्चात् अपीलांट को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट को वांछित सबूत प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया गया परन्तु अपीलांट हाजिर नहीं आया। इसलिए आवंटन निरस्त किया जाता है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसप्रकार अदालत मातहत ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी बावजूद सूचना के सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18-12-2003 के विरुद्ध अपील दिनांक 03-12-15 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 18-12-2003 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 03-12-2015 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांत ने अदालत मातहत के समक्ष वर्ष 1984-1985 में बतौर भूमिहीन आवांटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के प्रस्तुत करने के 17 वर्ष बाद अपीलांत को जरिये लॉटरी दिनांक 27-11-2002 को आवांटन सलाहकार समिति की राय से 25 बीघा कमाण्ड भूमि का पात्र मानते हुए चक 24 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 27/56 में 17 बीघा 11 बिस्वा कमाण्ड व 8 बीघा 14 बिस्वा भूमि अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 24.05 बीघा भूमि का आवांटन किया गया।

(3) अदालत मातहत द्वारा अपीलांत को क्रमांक 12663 दिनांक 27-12-2002 द्वारा सबूत प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया कि वे स्वयं सबूतों सहित उपस्थित आवे। तत्पश्चात् पुनः अदालत मातहत द्वारा क्रमांक 6937 दिनांक 22-08-03 को आवांटन आदेश प्राप्त करने हेतु स्वयं सबूतों सहित उपस्थिति होने का नोटिस जारी किया गया। किन्तु अपीलांत ना तो आवांटन आदेश प्राप्त करने हेतु उपस्थित नहीं आया और ना ही आवांटन अधिकारी के समक्ष सबूत आदि पेश किये। इससे स्पष्ट है कि अपीलांत आवांटन आदेश प्राप्त करने का इच्छुक नहीं रहा है। अदालत मातहत द्वारा आवेदक के उपस्थित नहीं होने व सबूतों के अभाव में अपीलांत का आवांटन आदेश खारिज किया गया है। जो विधि सम्मत है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांत की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत का आदेश दिनांक 18-12-2003 बहाल रखा जाता है।
8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 19.04.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर